संख्या-13/2024/998/60-1-2024

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 21 जून, 2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-49 राजस्व पक्ष में अधिष्ठान व्यय के लिए 13-संस्थानों/गृहों के संचालन योजना में प्राविधानित धनराशि से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-140/निदे0म0क0/लेखा-बजट/2024-25, दिनांक 06.06.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में पूर्णतया राज्य पोषित अधिष्ठान व्यय हेतु लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-13-संस्थानों/गृहों का संचालन योजना मद में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 2846.02 लाख के सापेक्ष प्रथम छमाही हेतु धनराशि रू0 1423.01 लाख (रू0 चौदह करोड तेईस लाख एक हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की द्विरावृत्ति न हो।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही किया जायेगा एवं योजना हेतु समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों/मानकों/दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(5) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, अन्यथा की स्थिति में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का दायित्व होगा कि वह शासन को तत्काल आवश्यक नियमत: कार्यवाही कर अवगत करायें।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

(7) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(10) धनराशि का निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0/विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(12) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनाँक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(14) उक्त प्रकरण में यह भी संज्ञानित रखा जाना आवश्यक होगा कि राज्य सरकार के वित्त विभाग तथा कार्मिक विभाग के प्रचलित नियमों/शासनादेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी ऐसे मद पर धनराशि व्यय नहीं की जायेगी, जिसका प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन सक्षम स्तर द्वारा न प्रदान किया गया हो। यदि किसी भी अधिकारी/कार्मिक द्वारा सक्षम स्तर के वित्तीय व प्रशासनिक अनुमोदन के विरूद्ध किसी भी मद में धनराशि व्यय की जाती है, तो ऐसे अधिकारी/कार्मिक के मासिक देयकों से इस प्रकार की अपव्यय की गयी धनराशि की वसूली किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष तथा संबंधित D D O का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)

	अनुदान	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	संख्या			
1	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	01 वेतन	5,15,00,000 (रुपये पाँच करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)
2	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	02 मजदूरी	2,58,000 (रुपये दो लाख अट्ठावन हजार मात्र)
3	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	03 मंहगाई भत्ता	2,83,25,000 (रुपये दो करोड़ तिरासी लाख पच्चीस हजार मात्र)
4	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	04 यात्रा व्यय	2,58,000 (रुपये दो लाख अट्ठावन हजार मात्र)
5	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,06,000 (रुपये दो लाख छह हजार मात्र)
6	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	06 अन्य भत्ते	12,88,000 (रुपये बारह लाख अट्ठासी हजार मात्र)
7	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	07 मानदेय	26,000 (रुपये छब्बीस हजार मात्र)
8	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
9	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	09 विद्युत देय	51,50,000 (रुपये इक्यावन लाख पचास हजार मात्र)
10	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	10 जलकर / जल प्रभार	5,15,000 (रुपये पाँच लाख पन्द्रह हजार मात्र)
11	049	2235021021300	11	4,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		संस्थानों/गृहों का संचालन	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	(रुपये चार लाख मात्र)
12	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
13	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	13 टेलीफोन पर व्यय	1,03,000 (रुपये एक लाख तीन हजार मात्र)
14	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
15	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
16	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	20,58,000 (रुपये बीस लाख अट्ठावन हजार मात्र)
17	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	29 अनुरक्षण	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
18	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	39 औषधि तथा रसायन	10,30,000 (रुपये दस लाख तीस हजार मात्र)
19	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	41 भोजन व्यय	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
20	049	2235021021300	42	17,50,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		संस्थानों/गृहों का संचालन	अन्य व्यय	(रुपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र)
21	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
22	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	26,000 (रुपये छब्बीस हजार मात्र)
23	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	45 अवकाश यात्रा व्यय	52,000 (रुपये बावन हजार मात्र)
24	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	49 चिकित्सा व्यय	10,30,000 (रुपये दस लाख तीस हजार मात्र)
25	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	51 वर्दी व्यय	26,000 (रुपये छब्बीस हजार मात्र)
26	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	55 मकान किराया भत्ता	51,50,000 (रुपये इक्यावन लाख पचास हजार मात्र)
27	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
	कुल			14,23,01,000 (रुपये चौदह करोड़ तेईस लाख एक हजार मात्र)
महायोग				**14,23,01,000 (रुपये चौदह करोड़ तेईस लाख एक हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या-13/2024/998(1)/60-1-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।